न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73/2020 **दायर दिनांकः 06/07/2020**

उनवान

1. **हरनारायण आयु 67 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) मो0न0— 9928724340 ....वादी**

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)**

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

एवं 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत नाम दुरस्ती घोषणा

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 23/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 171 के ख0न0 167/1110 का रकबा 1.95 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज हैं एवं खाता संख्या 167 के ख0न0 165/1072 का रकबा 0.13 है0, ख0न0 166 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 आराजी वादी के शामलाती दर्ज खाता हैं। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम नारायण दर्ज हो रहा हैं। घर पर नारायण कहने के कारण वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नारायण दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम हरनारायण हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक, गैस डायरी, नकल खाता संख्या 416 ग्राम बमोरी आदि में नाम हरनारायण हैं जिससे वादी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नारायण के स्थान पर हरनारायण किया जाना आवश्यक हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक, गैस डायरी, नकल खाता संख्याा 416

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:03 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम बमोरी की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार पटवार हल्का के पास खसरा गिरदावरी की नकल लेने जाने तथा अंतिम बार दिनांक 22/06/2020 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम अन्ताना तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। यह कि वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। यह कि वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादी का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 171 के ख0न0 167/1110 का रकबा 1.95 व खाता संख्या 167 के कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा नही देने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 व Pw_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 171 के ख0न0 167/1110 का रकबा 1.95 व खाता संख्या 167 के कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड, जमाबन्दी संवत् 2071—2074 ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 171 रकबा 1.95 है0 में खातेदार व खाता संख्या 167 के कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी का नाम नारायण दर्ज है तथा ग्राम बमोरी की खाता संख्या 416 किता 3 रकबा 1.90 है0 में वादी का नाम हरनारायण दर्ज है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक, गैस डायरी में वादी का नाम हरनारायण दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 171 रकबा 1.95 है0 में खातेदार व खाता संख्या 167 के कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 में सहखातेदार का नाम नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 73/2020

उनवान

1. हरनारायण आयु 67 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।

...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत नाम दुरस्ती घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**............... रूबरू.............**X**............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 171 रकबा 1.95 है0 में खातेदार व खाता संख्या 167 के कुल किता 2 का रकबा 0.15 है0 में सहखातेदार का नाम नारायण के स्थान पर हरनारायण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**..................... मुबालिक ....**X**............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....**X**........................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23/08/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:03 IST
Reason: SelfAttested

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प डाक	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)